

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-104 / 2022-23

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

सनिका मुण्डा.....आवेदक / विक्रेता

बनाम

लोथे उरॉव.....विपक्षी / क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
07.12.2023	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती सनिका मुण्डा पिता/पति स्व0 पिको मुण्डा ग्राम-डुमरदगा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है।</p> <p style="text-align: center;"><b>भूमि का विवरण</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं0</th> <th>खाता नं0</th> <th>खेसरा सं0</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>डुमरदगा</td> <td>232</td> <td>14</td> <td>5</td> <td>0.15</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती सनिका मुण्डा पिता/पति स्व0 पिको मुण्डा ग्राम-डुमरदगा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को मकान निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती लोथे उरॉव पिता/पति रतन उरॉव ग्राम-विरहू, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को विक्री करना चाहते/चाहती है।</p> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाण पत्र/खतियान एवं लगान की रसीद 0337051263 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि में किरसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 771 दिनांक 20.10.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका का खतियानी भूमि है, खतियानी रैयत का नाम मोसमात धसनी जौजा टेमना मुण्डा है। आवेदक पंजी II रैयत में से एक के परपोता है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं0 1 के पृष्ठ सं0 9 पर जमाबंदी दर्ज है।</p> <p>आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण कराने</p>	ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)	डुमरदगा	232	14	5	0.15	
ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)								
डुमरदगा	232	14	5	0.15								



हेतु बिक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, खूँटी के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य एवं एक ही थाना के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 272 दिनांक 14.02.2023 के साथ अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत 1. जाति प्रमाण पत्र सं०- JHCST/2021/226731 दिनांक 21.09.2021 वो आवासीय प्रमाण पत्र सं०- JHLRCO/2021/385222 दिनांक 20.09.2021 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना के निवासी हैं। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 771 दिनांक 20.10.2023 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती सनिका मुण्डा पिता/पति स्व० पिको मुण्डा ग्राम-डुमरदगा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती लोथे उरॉव पिता/पति रतन उरॉव ग्राम-बिरहू, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के साथ ग्राम डुमरदगा के खाता सं० 14 खेसरा संख्या 5 रकबा 0.15 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
खूँटी।

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
खूँटी।